न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 133/25 (223 आर.टी.एक्ट)

जीसीएमएस नम्बर :– 2025/207

उनवान

शिवराम पुत्र श्री बीरवल, जाति मीना निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. महेश पुत्र हरीसिंह जाति मीना निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

2. नेतराम पुत्र बीरवल
3. बनवारी पुत्र बीरवल
4. चमेली बेवा बीरवल
5. लच्छो बेवा वत्तू

जाति मीना निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. राहुल पुत्र वत्तू
7. टिंकू पुत्र वत्तू
8. कुसुम पुत्री वत्तू

नाबालिगान वली सरपरस्त माता खुद लच्छो बेवा वत्तू जाति मीना निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

9. शिवराम पुत्र भूरीसिंह
10. विजयराम पुत्र भूरीसिंह
11. अज्जो पुत्री भूरीसिंह
12. वत्तो पुत्री भूरीसिंह
13. रामवती पत्नी भूरीसिंह

जाति गुर्जर निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14. मुकेश पुत्र हरीसिंह
15. ममता पत्नी महेश

जाति मीना निवासी तलछेरा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोडेन्ट्स

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
17. पी.एन.बी. नदबई जरिये शाखा प्रबन्धक

.....असल रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 121/2022 बउनवानी महेश बनाम नेतराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2025 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री दिनेशचंद शर्मा उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1, 14 व 15 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 11.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 121/2022 बउनवानी महेश बनाम नेतराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2025, दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजी खसरा नम्बर 1356/0.71, 1453/0.01 किता 2 रकबा 0.72 हैक्टर व आराजी ख. न. 1454/0.79, 1828/0.31, 1829/0.26, 1840/0.19, 436/0.63 किता 5 रकबा 2.18 हैक्टर व आराजी खसरा नम्बर 513/0.64 वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई बाबत प्रस्तुत किया गया था। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 ने अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया गया जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.06.2025 को अपना निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चंद शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1, 14 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह डागुर ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.06.2025 खिलाफ कानून व खिलाफ पत्रावली तथा मौका होने के कारण काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.06.2025 को दावा को प्राथमिक डिक्री पारित की है लेकिन आज तक अदालत तहत ने दावे में प्राथमिक डिक्री नहीं बनाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आर्डर शीट दिनांक 15.01.2025 में रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 15 की तामील गलत रुप से मानी है तथा उनकी तामील मानने के बाद उनके विरुद्ध कोई एकतरफा करने के आदेश नहीं दिये है इस तथ्य पर कोई विचार नहीं करते हुए अदालत तहत ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 16.06.2025 में रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 17 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अंकित किया है लेकिन इस आदेशिका से पहले कभी भी अदालत तहत ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 17 की एकतरफा कार्यवाही किसी भी आदेशिका में नहीं की है। अदालत तहत में रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 व अपीलान्ट ने अपना जबाब दावा प्रस्तुत दिनांक 15.01.2025 को किया था तथा उसके बाद पत्रावली को कायमी तनकीयात के लिये रखा गया लेकिन न तो अदालत तहत ने दावा व जबाब दावा के तहत कोई तनकीयात कायम की और न ही साक्ष्य ही ली है तथा दिनांक 16.06.2025 को सीधे ही प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो वादी के बयान लिये गये और न ही दस्तावेजात पर किसी प्रकार के प्रदर्श अंकित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना बयान लिये एवं बिना प्रदर्श डाले उन पर विश्वास कर निर्णय जैर अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पारित करने में कानूनी गलती की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में 2022 RBJ 138, 2022 RBJ 465, 2022 RBJ 554 न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि निर्णय दिनांक 16.06.2025 के विरुद्ध यह अपील पेश की जा रही है अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की कोई जानकारी नहीं थी दिनांक 14.08.2025 को अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी हुई उसी दिन दिनांक 14.08.2025 को नकल ली जो उसी दिन प्राप्त हो गई दिनांक 15.08.2025 से दिनांक 17.08.2025 का अवकाश होने के कारण आज दिनांक 18.08.2025 को ही अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, अवकाश के समय को हटाया जाकर अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील होने जानकारी व मिलने नकल अन्दर मियाद शुमार कर देरी माफ की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई को निरस्त फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वादी/रेस्पोडेन्ट असल, प्रतिवादीगण/अपीलान्ट्स की खातेदारी काश्तकारी की आराजी थी। जिस पर वादी/रेस्पोडेन्ट एवं तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते थे एवं अपीलान्ट/प्रतिवादी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन अब प्रतिवादीगण के मन में बदयन्ती आ गई जिसके कारण वह विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र की आराजी को रहन–बय–मुन्तकिल करने पर आमदा था तथा डोर–मेंड़ लगान को लेकर आपस मे तनाजा बना रहता था। इसलिए वादी/रेस्पोडेन्ट असल ने न्यायालय तहत में वाद पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके बाहिस्सा मुताबिक हिस्सा व कब्जा बंटवारा किया जावे। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो विधिसम्मत रुप से सही हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2025 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 18.08.2025 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

8. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया और न ही कोई काउन्टर क्लेम पेश किया गया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है एवं अपीलान्ट द्वारा पेश अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विवादित आराजी खसरा नम्बर 1356/0.71, 1453/0.01, 1454/0.79, 1828/0.31, 1829/0.26, 1840/0.19, 436/0.63, 513/0.64 वाके ग्राम तलछेरा तहसील नदबई बाबत प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 ने अपना जबाब प्रस्तुत किया। जिसके उपरान्त उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.06.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन व अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.11.2022 को दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.11.2022 में यह अंकित किया गया कि दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये समन तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 12.01.2023 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.10.2024 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की ओर से एडवोकेट अजीत सिंह उपस्थित हुए एवं आदेशिका दिनांक 15.01.2025 के अनुसार शेष प्रतिवादीगणों की तामील मानी गई एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 ने अपना जबाब पेश किया गया और पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात नियत की गई। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 16.06.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 की ओर से जबाब प्रस्तुत किया गया है लेकिन अन्य प्रतिवादीगणो की तामील विधिवत रुप से नहीं कराई गई ना ही पत्रावली पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी सं. 1 से 5 द्वारा दावे में जबाब प्रस्तुत किए जाने के बाद पत्रावली वास्ते कायमी तनकीयात रखी गई लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के जबाब के आधार पर कोई तनकीयात कायम नहीं की गई एवं वादी एवं प्रतिवादीगण से कोई साक्ष्य, सबूत न लेकर सीधे ही प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को वादी के दावा एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 द्वारा पेश जबाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करते एवं उभयपक्ष की साक्ष्य सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जो विधिसम्मत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तहसीलदार भूमिधारी की तामील कराये एवं बिना सूचना दिये प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जबकि बंटवारे के दावे में भूमिधारी तहसीलदार धारा 53(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक पक्षकार होता है उनको तामील ही नही करवाई गयी है। यदि कानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है एवं विशेष तरीके से करने की प्रक्रिया भी तय की गयी है तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए हम यह उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमिधारी तहसीलदार की तलबी कराई जाकर, उभयपक्षों की समुचित

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

सुनवाई हेतु पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने के लिए दस्तावेज नकल जमाबन्दीयाँ वाके ग्राम तलछेरा पेश की गई हैं किन्तु उक्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं किये गए एवं ना ही उक्त दस्तावेजों को विधिवत प्रदर्शित किया गया है एवं ना ही वह पीठासीन अधिकारी द्वारा आद्याक्षर (Initialls) किये गये हैं। इसलिए उक्त दस्तावेजों को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून की पालना विधिसम्मत रुप से पूर्ण नहीं की है। आलौच्य अपील में उक्त प्रकरण विधिवत कानून की पालन न करने का ठोस आधार उपलब्ध होने के कारण इसे आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2025 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के क्रम में शेष रहे प्रतिवादियों की विधिवत रुप से तामील कराते हुए, उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य सबूत लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः नये सिरे से प्राथमिक डिक्री पारित करें।
11. निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
12. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
13. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर